उ.प्र.पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

, शक्ति भवन विस्तार,14—अशोक मार्ग, लखनऊ, 226001,

पत्रांक /उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/मु0/वित्त दिनांक 22/09/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 4630–Dir(Op)/ERP dt. 31.08.2022 के अनुक्रम में दिनांक 01.09.2022 से ERP Go Live होने के फलस्वरूप, अवगत कराना है कि माह अगस्त–2022 मे मुख्यालय स्तर से कार्यदायी संस्थाओं/आपूर्तिकर्ताओं की देयता के सापेक्ष किये गये भुगतान/अवमुक्त धनराशि की सूचना IUT के माध्यम से सम्बन्धित इकाईयों को प्रेषित की जा चुकी है, अग्रेतर क्षेत्रीय इकाइयों के पूंजीगत/अनुरक्षण एवं परिचालन मद के कार्यों हेतु प्राप्त बीजकों/मांगपत्रों का भुगतान केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा निम्नानुसार किये जायेंगे:–

1. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त बीजक की आपूर्ति/कार्य प्रगति का नियमानुसार मापन एवं उनके बैंक विवरणों का सत्यापन करते हुए वैधानिक एवं अनुबन्ध के सापेक्ष कटौतियों जैसे–जी0एस0टी0/जी0एस0टी0 टी0डी0एस0/इनकमटैक्स टी0डी0एस0/इनकमटैक्स टी0सी0एस0/लेबरसेस/रिटेन्शन इत्यादि का स्पष्ट अंकन कर भुगतान हेतु पारण आदेश पारित कर भुगतान दायित्व से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय सहलंग्नता (लिंकेज) सहित बीजक को समस्त प्रपत्रों के साथ ERP के माध्यम से प्रेषित/अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान दायित्व का पारण आदेश करने के पश्चात् सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा अग्रेतर स्क्रूटनी/सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाईयों के आहरण वितरण अधिकारी का पूर्णरूपेण यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पारण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि/गलती अथवा ERP में गलत अपलोडिंग किये जाने की दशा में सम्बन्धित पारण आदेश करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। विभिन्न इकाईयों द्वारा एक ही इनवाइस को एक से अधिक बार भुगतान हेतु पारित कर अपलोड किये जाने की दशा में यदि उक्त बीजक का एक से अधिक बार भुगतान हो जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
3. सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई, आपूर्तिकर्ता/कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ यथा–नाम, बैंक विवरण, GSTIN, PAN, वैधानिक कटौतियाँ (TDS, GST-TDS, TCS, Labor Cess) सिक्यूरिटी डिपॉजिट, परफार्मेंस गारण्टी, ईएमडी0 इत्यादि अन्य कटौतियां जो कि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी हैं, का सत्यापन एवं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी तथा किसी भी त्रुटि के लिए पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगी।
4. भुगतान दायित्व के सम्बन्ध में सम्बन्धित वैधानिक अधिनियमों एवं अनुबन्ध के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कटौतियों में किसी भी प्रकार की कमी, गलती/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचना तथा कम अथवा अधिक कटौती किये जाने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के पारण आदेश जारी करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
5. कार्य के सम्बन्ध में रनिंग/अन्तिम बीजक को सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई द्वारा भुगतान हेतु तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाये कि सम्पादित कार्य के विरूद्ध सामग्री के उपभोग का विवरण सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा बना लिया गया है और उसका सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करके मापनपुस्तिका में अभिलिखित कर दिया गया है। अवर अभियन्ता/मापन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री उपभोग का विवरण जो मापन पुस्तिका में अभिलिखित किया गया है उस स्टाक

अकाउन्ट में भी दर्शा दिया गया है। अग्रेतर Mobilisation Advance/Any other Advance को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के बीजकों से समायोजित/वसूली किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6. भुगतान से सम्बन्धित दायित्वों का लेखांकन सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर किया जायेगा।

7. सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा ERP के माध्यम से प्राप्त बीजकों एवं संलग्नक प्रपत्रों को डाउनलोड किया जायेगा, जिसे प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) आधार पर निदेशक (वित्त) से निधि अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक (वित्त) के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा वेण्डर को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. केन्द्रीकृत भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई द्वारा पारित की गई भुगतान योग्य वैधानिक कटौतियों यथा TDS, GST-TDS, TCS, Labor Cess इत्यादि से सम्बन्धित समस्त भुगतान, केन्द्रीकृत आधार पर मुख्यालय भुगतान इकाई द्वारा अपने TAN एवं निगम के GSTIN एवं PAN के सपेक्ष संगत अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

9. मुख्यालय भुगतान इकाई द्वारा भुगतान किये गये वैधानिक दायित्वों यथा TDS/GST/आयकर एवं अन्य से सम्बन्धित विवरणियों का ससमय फाइलिंग मुख्यालय भुगतान इकाई के स्तर से ही सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रेतर इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सांविधिक प्राधिकरण/अधिकारी से नोटिस/दण्ड आदि प्रकरण के निस्तारण हेतु यथावश्यक समस्त कार्यवाही तथा अनुश्रवण हेतु समस्त दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के पारण अधिकारी के होंगे।

10. सभी प्रत्यक्ष प्राप्तियां यथा–निविदा शुल्क,स्क्रैप बिक्री, ईएमडी/धरोहर राशि समस्त इकाईयों द्वारा दैनिक आधार पर दिन के अन्त तक मुख्यालय हस्तान्तरित की जायेगी।

(पी0 गुरू प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1957 /उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/मु0/वित्त तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वित्त)/(कार्मिक एवं प्रबन्धन)/(ऑपरेशन)/(कार्य एवं परियोजना)/(वाणिज्य एवं नियोजन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
5. उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 को सूचनार्थ।
7. समस्त लेखाधिकारी, मुख्यालय, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्तिभवन (विस्तार),लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)